ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सामाजिक कानून और सुधारों के प्रति नीति

समाज सुधार के प्रति ब्रिटिश सरकारी कानून

19 वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजी शिक्षा व भाषा के प्रभाव से भारतीय समाज में एक ऐसा बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग विकसित हो गया जो सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन द्वारा आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहता था। इसी वर्ग के सहयोग से ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधारवादी कानून बनाए जिनमें निम्नांकित विशेष उल्लेखनीय है —

(1) सती प्रथा का निषेध —

राजा राममोहन राय के प्रयत्न से तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ई० में सती प्रथा को निषिद्ध करने हेतु एक कानून बनाया जिसे 1833 ई० से लागू किया गया।

(2) विधवा - विवाह अधिनियम -

इस स्थिति में सुधार हेतु बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा जनमत के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी

ने विधवा-पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया। इस अधिनियम से हिन्दू विधवा का पुनर्विवाह वैध हो गया किंतु कुछ ही महिलाएं इसमें सफल हो सकी, क्योंकि जनमत पूर्णरूपेण इनके पक्ष में नहीं था।

3) बाल - विवाह का निषेध

1872 ई० में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ जो आगे चलकर 1929 ई० में 'बाल-विवाह नियंत्रण अधिनियम' के रूप में संशोधित हुआ। इस अधिनियम से लड़के तथा लड़की की विवाह हेतु आयु निर्धारित कर दी गई ताकि अल्पायु के विवाह अवैध माने जाएं।

4) विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम.

अपने पति की मृत्यु के पश्चात् वे पुरुष सदस्य पर आर्थिक रूप से निर्भर रहती थी। इस स्थिति में सुधार हेतु 1874 ई० में विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार परिवार की सम्पत्ति पर महिलाओं को अधिकार दिया गया। इससे महिलाओं को पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता से उत्पन्न कष्टों से मुक्ति मिलने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई।

5/ <u>अन्तर्जातीय विवाह</u> -

1872 ई० में श्री केशव चन्द्र सेन के आग्रह पर सरकार ने सिविल मैरिज एक्ट (Civil Marriage Act) पारित किया जिसके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह वैध हो गया। महिलाओं की स्वतंत्रता एवं पुरुषों के समान अधिकार प्राप्ति की दिशा में इस अधिनियम से काफी प्रगति हुई और जाति बन्धन की कठोरता कुछ शिथिल हुई। इस अधिनियम द्वारा बाल विवाह पर भी नियंत्रण हुआ क्योंकि लड़के व लड़की की विवाह आयु क्रमशः 18 व 14 वर्ष नियत की गई।

6) <u>बालिका-वध निषेध</u> -

1845 ई० में लार्ड डलहौजी ने राजपूतों तथा कुछ जनजातियों में प्रचलित बालिका-वध को निषिद्ध कर दिया गया और सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 1856 ई० तक इस कुप्रथा का अन्त हो गया। इस निषेध से बालिकाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण उदार हुआ।

इस प्रकार 1824 ई० में सरकार द्वारा कलकत्ता, आगरा, दिल्ली व मुरादाबाद में कॉलेजों की स्थापना की गई। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा बालिकाओं के विद्यालयों

के विद्यालयों में वृद्धि की गई। 1833 ई० के चार्टर द्वारा शिक्षा हेतु धनराशि में वृद्धि की गई।

1854 ई० में 'वुड के घोषणा-पत्र' (Wood's Despatch) में स्त्री-शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया।

1882 ई० में भारतीय-शिक्षा-आयोग या हन्टर कमीशन ने स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल देने का सुझाव दिया। स्त्री-शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग के सुझाव थे कि जन-सहयोग लिया जाए, बालिकाओं का पाठ्यक्रम भिन्न हो, महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति हो, बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क हो, सार्वजनिक कोष, छात्रावास, छात्रवृत्तियाँ, सहायक अनुदान, माध्यमिक शिक्षा-निरीक्षकों की नियुक्ति, पर्दे में रहने वाली महिलाओं की शिक्षा घरों पर हो तथा प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना हो।

आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्त्री-शिक्षा की प्रगति 1882 ई० से 1902 ई० की अवधि में प्राथमिक स्तर पर आधी हुई, किंतु माध्यमिक स्तर पर कम हुई। महिलाओं का कॉलेजों में प्रवेश भी आरंभ हो गया। अब महिला-शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक हो गया।

P.T.O

पं० नेहरू के शब्दों में - "एक बालक की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है किंतु एक बालिका की शिक्षा एक पूरे परिवार की शिक्षा होती है।"